न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 55/2025

GCMS No. : 2025/266

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
दिलीप सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. खीमाराम पुत्र मुलाराम मेघवाल (मैनेजर) मैसर्स – वेदान्ता (Restaurants Waves 2.0), कृषि मण्डी के सामने, जोधपुर रोड़, पाली 2. पुनीत मेवाड़ा (मालिक) मैसर्स – वेदान्ता (Restaurants Waves 2.0), कृषि मण्डी के सामने, जोधपुर रोड़, पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

1. अप्रार्थी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय एवं अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

(मुहर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान))

–: निर्णय :–

दिनांक: 03/12/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसुचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के अधिकृत किया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वाास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ/खा.सु/एवं औ.नि./संस्था/2025/101 दिनांक 15.01.2025 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिलें में आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र प्रार्थी के कार्यक्षैत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 01.05.2025 दौराने गश्त अप्रार्थी के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

मैसर्स वेदान्ता वेदान्ता (Restaurants Waves 2.0), कृषि मण्डी के सामने, जोधपुर रोड़, पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम खीमाराम पुत्र मुलाराम मेघवाल एवं स्वयं को फर्म का मैनेजर होना बताया। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की फर्म में खाद्य सामग्री निर्माण स्थल पर लगभग 3.5 किलोग्राम पनीर रखा हुआ था, जिसे आमजन को खाद्य सामग्री निर्माण कर बिक्री हेतु रखा गया था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू विक्रेता के सामने पनीर का नमुना लेने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैनें दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी एवं गवाहान को यह बता दिया कि यह नमुना वास्ते जांच एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हूं। स्वतंत्र गवाह नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी के साथ आये सुरेश चन्द्र शर्मा, कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 01 किलोग्राम पनीर वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 320/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीरशुदा पनीर को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड़ एवं सिरियल नम्बर आर–2554 लिखा एवं नमूना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होनें स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया पनीर का नमुना संख्या आर–2554 के सम्बन्ध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएल /751/एक्ट/2025/751 दिनांक 22. 05.2025 के अनुसार **Sub-Standard** पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सूचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना चाहते है या अपना कोई पक्ष रखना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। उक्त अवधि पूर्ण होने से प्रकरण श्रीमान के समक्ष पेश किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवमानक **Sub-Standard** पनीर से को खाद्य सामग्री निर्माण कर बिक्री कर आमजन को विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की फर्म में उच्च गुणवता का पनीर उपयोग में लाया जाता है तथा पनीर से विभिन्न खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

पदार्थ बनाये जाने से पूर्व फर्म के द्वारा भी पनीर की गुणवता को जांचा जाता है और साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। फर्म में सम्पूर्ण कार्य खाद्य सुरक्षों के मानकों के अनुरूप किया जाता है। उक्त पनीर में केवल फैट की मात्रा कम आई है, जो कि आमजन के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा भविष्य में इस सम्बन्ध में सावधानी बरती जायेगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये प्रकरण को ड्रोप फरमावे।

हमने अप्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.05.2025 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स वेदान्ता वेदान्ता (**Restaurants Waves 2.0**), कृषि मण्डी के सामने, जोधपुर रोड़, पाली लिया गया पनीर का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2554 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये पनीर का नमुना कोड संख्या आर–2554 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी फर्म से लिया गया पनीर का नमुना अवमानक **Sub-Standard** पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक स्तर के पनीर द्वारा खाद्य सामग्री निर्माण कर उसका विक्रय/उत्पादन/विनियम करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (**Sub-Standard**) पनीर से निर्मित खाद्य सामग्री का विक्रय/विनिमय/उत्पादन करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से 1 माह में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)